प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.स .....86/22..... दिनांक .....11/3/2022.....
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7 पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – 120 बी
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या .....226.. समय .....01:15 P.M.....
   (2) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 14.01.2022 समय 05:00 पी.एम. से 5:50 पीएम के मध्य
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 13.01.2022 समय 01:30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल : –
   (1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी– भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर से बजानिब उत्तर पूर्व दिशा, लगभग 140 किलोमीटर
   (2) पता – कार्यालय तहसीलदार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ।
   ..... बीट संख्या .....
   जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

   <u>परिवादी</u>

   (1) नाम : श्री पारसमल डांगी (जैन)
   (2) पिता का नाम : श्री भंवरलाल उर्फ लालचंद जी
   (3) आयु : 54 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
   (6) व्यवसाय : सरकारी नौकरी (अध्यापक)
   (7) पता : सेठ साहब की हवेली, ग्राम गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   1. श्री नरेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री मलखान सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी बासडा पोस्ट सिकंदरा तहसील सिकराय जिला दौसा, हाल नायब तहसीलदार कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.)
   2. श्री बालकृष्ण शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 52 वर्ष निवासी पूर्बिया मोहल्ला ग्राम गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.) (प्राईवेट व्यक्ति)
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	2,00,000 रूपये	

आरोपीगण श्री नरेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री मलखान सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी बासडा पोस्ट सिकंदरा तहसील सिकराय जिला दौसा, हाल नायब तहसीलदार कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.) एवं श्री बालकृष्ण शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 52 वर्ष निवासी पूर्बिया मोहल्ला ग्राम गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.) प्राईवेट व्यक्ति (दलाल सरपंच पति) द्वारा आपसी षडयंत्र रचकर अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री पारसमल डांगी से उसके निर्माणाधीन दुकानों एवं आवासीय भवन के निर्माण को नहीं रोकने की एवज में अवैध पारितोषण के रूप में प्रत्येक दूकान के 75,000

रूपये के हिसाब से दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण के मार्फत रिश्वत राशि मांग की। जिस पर परिवादी द्वारा हाथा जोडी करने पर उन्होने 7,00,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने की स्वीकृति देने के पश्चात आरोपीगणो को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से परिवादी से अपनी मांग के अनुरूप रिश्वत राशी ग्रहण नहीं की गयी।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य 2,00,000 रू रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महादेय,

निवेदन है कि दिनांक 13.01.2022 को जरिये टेलीफोन श्रीमान् उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक को भ्र.नि. ब्यूरों (एस.यू) उदयपुर से चौकी भ्र0नि0 ब्यूरो पर तलब किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक भ्र.नि. ब्यूरों (एस.यू) उदयपुर से रवाना होकर समय करीब 1.30 पी.एम. पर ब्यूरों चौकी कार्यालय पर पहुँच श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा के कक्ष में पहुचा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मुझे श्री पारसमल डांगी निवासी गंगरार जिला चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर 94139-77561 दिये तथा श्री पारसमल डांगी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया तथा बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट उदयपुर पर समस्त कर्मचारी कोविड-19 पोजीटिव होने से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी उदयपुर की टीम के सहयोग से कार्यवाही करें। जिस पर समय करीब 2.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर एवं ब्यूरों चौकी उदयपुर कार्यालय के कानि. श्री सुरेश कुमार को हमराह मय सरकारी वाहन के ब्यूरों कार्यालय से चित्तौडगढ की ओर रवाना होकर परिवादी श्री पारसमल से जरिये फोन सम्पर्क किया तो उसने बताया कि वह टोल टैक्स गंगरार से आगे हमीरगढ़ पुलिया के नीचे मिलेगा। इस पर परिवादी के बताये गये उक्त स्थान पर पहुंचने पर दो व्यक्ति उपस्थित मिले जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पूछा तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपना परिचय पारसमल डांगी के रूप में तथा दूसरे व्यक्ति का परिचय पारसमल डांगी ने अपने पुत्र तिलक डांगी के रूप में परिचय करवाया। परिवादी श्री पारसमल डांगी ने पुछताछ पर बताया कि ''मैं पारसमल निवासी गंगरार जिला चित्तौडगढ़ का रहने वाला होकर पेशे से सरकारी अध्यापक हूँ। मेरे को स्वर्गीय श्री भंवरलाल एवं उनकी पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी ने वर्ष 1995 में आपसी सहमति एवं सामाजिक रीति रिवाज से गोद लिया था। मेरी माता जी श्रीमती शकुन्तला देवी ने अपनी सारी चल अचल सम्पति मेरी पत्नी श्रीमती निशा देवी के नाम वसियत की जिसे उपपंजीयक (तहसीलदार) गंगरार श्री नरेश कुमार द्वारा वसियत नहीं करनें पर जिला कलक्टर चित्तौडगढ के समक्ष अपील करनें पर उक्त अपील को विड्रो करनें तथा मेरे द्वारा ग्राम गंगरार में निर्माणाधीन 11 दूकाने एवं आवासीय मकान को नहीं रोकनें की एवज में सरपंच पति दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण शर्मा के मार्फत रिश्वत राशि की मांग की जा रही है''। जिस पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारियों से नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करनें हेतु बताया तो परिवादी श्री पारसमल डांगी ने बताया कि ''आज तहसीलदार साहब बाहर है उनसे बात नहीं हो सकती है''। जिस पर परिवादी को रिश्वत मांग करनें वाले अधिकारी तहसीलदार के उपस्थित आने पर दिनांक 14.01.2022 को मांग सत्यापन वार्ता कर ब्यूरों के टेप रिकार्डर में रिकार्ड करनें की आवश्यकता तथा इस बाबत् गोपनीयता की हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि दिनांक 14.01.2022 की सायकाल को मैं विवेकानन्द मॉडल स्कूल गंगरार के पास में आपसे मिलुंगा। जिस पर परिवादी एवं उसके पुत्र को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत कर समय करीब 5.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान एवं वाहन से मौके से रवाना हो ब्यूरों कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित हुआ तथा हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये। दिनांक 14.01.2022 को समय करीब 2.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री सुरेश कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय सरकारी वाहन के गंगरार जिला चित्तौडगढ की ओर रवाना होकर समय करीब 05:00 पीएम पर विवेकानन्द मॉडल स्कूल गंगरार जिला चित्तौडगढ पर

20

पहुंचा जहॉ परिवादी श्री पारसमल डांगी उपस्थित मिला। परिवादी ने पूर्व में बताये तथ्यों के अनुरूप स्वयं की हस्तलिपि में एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ''मैं पारसमल निवासी गंगरार जिला चित्तौडगढ़ का रहने वाला होकर पेशे से सरकारी अध्यापक हूँ। मेरे को स्वर्गीय श्री भंवरलाल एवं उनकी पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी ने वर्ष 1995 में आपसी सहमति एवं सामाजिक रीति रिवाज से गोद लिया था। मेरी माता जी श्रीमती शकुन्तला देवी ने अपनी सारी चल अचल सम्पति मेरी पत्नी श्रीमती निशा देवी के नाम वसियत की, जिसे उपपंजीयक (तहसीलदार) गंगरार श्री नरेश कुमार द्वारा वसियत का पंजीयन नहीं करनें पर मेरी माताजी द्वारा जिला कलक्टर चित्तौडगढ के समक्ष अपील पेश की। मेरे द्वारा ग्राम गंगरार में निर्माणाधीन 11 दुकाने एवं आवासीय मकान के कार्य को नही रोकने की एवज में उक्त अपील विड्रो करनें एवं सरपंच पति श्री बालकृष्ण शर्मा के मार्फत तहसीलदार श्री नरेश जी द्वारा रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। मैं तहसीलदार श्री नरेश जी को रिश्वत राशी श्री बालकृष्ण शर्मा के मार्फत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी इनसे कोई दुश्मनी या उधार राशी का लेनदेन नहीं है, अतः कार्यवाही करने की कृपा करें''। जिस पर नियमानुसार रिश्वत राशि मांग सत्यापन किया जाना आवश्यक होने से परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि को भलीभॉति समझाईश कर डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी एंव श्री सुरेश कुमार कानि को मांग सत्यापन हेतु तहसील कार्यालय गंगरार की ओर बाद हिदायत परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया। समय करीब 5:50 पी.एम. पर परिवादी श्री पारसमल डांगी ने जरिये फोन मन् पु0नि0 को बताया कि तहसीलदार साहब से बातचीत हो गई है और मैं वार्ता करने के उपरान्त गंगरार कस्बे से निकलकर हाईवे की ओर आकर चित्तौडगढ रोड की तरफ खडा हूँ। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय सरकारी वाहन हाईवे की ओर रवाना होकर तहसील कार्यालय के पास खडे कानि. श्री सुरेश कुमार को साथ लेकर परिवादी के पास हाईवे के लिए रवाना होकर परिवादी के पास पहुचा, जहॉ परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किया, जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। इसके उपरान्त परिवादी ने बताया कि ''मैं आपके पास से रवाना होकर सुरेश जी को तहसील गेट के बाहर उतारकर तहसील कार्यालय के परिसर में बने ग्राम पंचायत कार्यालय में पहुंच सरपंच पति दलाल श्री बालकृष्ण जी को साथ लेकर तहसीलदार साहब के कक्ष में पहुंच तहसीलदार साहब श्री नरेश जी से बातचीत की तो उन्होने मुझसे सर्वप्रथम अपील विड्रो करने तथा प्रत्येक दूकान के 75,000 रूपये के हिसाब से दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण के मार्फत रिश्वत राशि मांग की, जिस पर मेरे द्वारा हाथा जोडी करने पर उन्होने 7,00,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने की स्वीकृति दी एवं प्रथम किश्त के रूप में 4,00,000 रूपये की मांग करते हुए कल लाने के लिए कहा है। मैने तहसीलदार साहब से निवेदन किया कि कल मैं 2,00,000 रूपये की व्यवस्था कर दूंगा। जिस पर उन्होंने कहा कि सोमवार को अपील विड्रो करने की एप्लीकेशन लगा देना और सोमवार को ही 2,00,000 रूपये ले आना''। जिस पर परिवादी द्वारा पेश की गई डिजिटल टेप रिकॉर्डर में दर्ज वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। तत्पश्चात् परिवादी को सोमवार को आरोपीगणो को दी जाने वाली रिश्वत राशि 2,00,000 रूपये की व्यवस्था कर चित्तौडगढ़ के निकट झांतला माता मन्दिर पाण्डोली चित्तौडगढ़ पर मिलने की हिदायत देते हुए रूकसत कर वहॉ से मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान एवं डिजिटल टेप रिकार्डर तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ सरकारी वाहन से रवाना होकर समय करीब 9:30 पीएम पर भ्र0नि0 ब्यूरों उदयपुर पहुँचा। टेप रिकार्डर एवं परिवादी के प्रार्थना पत्र को कार्यालय में सुरक्षित रखा।

दिनांक 15.01.2022 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान् उमेश ओझा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0 ब्यूरों उदयपुर के समक्ष परिवादी श्री पारसमल डांगी द्वारा दिनांक 14.01.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं परिवादी श्री पारसमल एवं संदिग्ध श्री नरेश कुमार गुर्जर तहसीलदार से हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में हालात अर्ज किये जाने पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के प्रार्थना पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित किया गया। दिनांक 17.01.2022 को मन् पुलिस

निरीक्षक द्वारा निदेशक प्रशासन खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर के नाम तहरीर जारी कर कानि. श्री टीकाराम को दो स्वंतत्र गवाहान लाने हेतु रवाना किया गया जो स्वंतत्र गवाहान श्री अमरदीप नागदा पुत्र स्व0 श्री डालचंद नागदा उम्र 41 वर्ष निवासी यूनिवरसिटी रोड छोटी पीपली उदयपुर हाल कनिष्ठ लिपिक सहायक निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग उदयपुर एवं श्री लोकेश टांक पुत्र श्री भंवरलाल टांक उम्र 59 वर्ष निवासी निरंजननाथ आचार्य मार्ग पंचवटी उदयपुर हाल खनि कार्यदेशक प्रथम खान एवं भू–विज्ञान विभाग उदयपुर को हमराह लेकर कार्यालय में उपस्थित हुआ। स्वतंत्र गवाहानों को परिवादी श्री पारसमल डांगी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर की जानें वाली अग्रिम आवश्यक कार्यवाही में बतौर स्वंतत्र गवाह उपस्थित रहने की स्वीकृति चाही गई तो हर दोनों गवाहानों द्वारा अपनी–अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान करने पर दिनांक 14.01.2022 को परिवादी श्री पारसमल एवं संदिग्ध श्री नरेश कुमार गुर्जर तहसीलदार के मध्य रूबरू हुई डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता चलाकर सुनाई गई तो हर दोनों गवाहानों द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि मांग करनें की पुष्टि की। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहानों को बताया कि गोपनीय कारणों से परिवादी श्री पारसमल डांगी संदिग्ध अधिकारी तहसीलदार को दी जाने वाली रिश्वत राशि के साथ चित्तौडगढ़ के निकट झांतला माता मन्दिर पाण्डोली चित्तौडगढ़ पर मिलेंगा। तत्पश्चात् समय करीब 12:15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेश टांक, श्री अमरदीप नागदा, ब्यूरों टीम श्री रमेशचन्द्र हैड कानि0 प्राईवेट वाहन से तथा अन्य प्राईवेट वाहन से श्री मुनीर हैड कानि0, श्री अशोक कानि0 पृथक से सुरक्षित फिनोफ्थेलीन पाउडर के साथ, श्री टीकाराम, श्री सुरेश कानि0 आवश्यक संसाधन लेपटॉप प्रिन्टर के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी उदयपुर से झांतला माता मन्दिर पाण्डोली चित्तौडगढ़ के लिए रवाना होकर समय करीब 2:15 पी.एम. पर झांतला माता मन्दिर पाण्डोली चित्तौडगढ़ पर पहुँचा जहाँ पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी श्री पारसमल डांगी मय रिश्वत राशि 2,00,000 रूपयें के उपस्थित मिला। जिस पर मंदिर के समीप स्थित धर्मशाला के बरामदे में एक ओर सुरक्षित स्थान पर परिवादी श्री पारसमल का स्वंतत्र गवाहानों से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 14.01.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर स्वतंत्र गवाहानों को सुनाया गया तो परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिपि में होकर शब्द ब शब्द सही होना एवं उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। परिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वतंत्र गवाहानों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 3:25 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर दिनांक 14.01.2022 को रिकार्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता चलाकर सुनाई गई तो उक्त वार्ता में परिवादी श्री पारसमल ने एक आवाज स्वयं की तथा रिश्वत मांग करनें वाले अधिकारी के रूप में एक आवाज श्री नरेश कुमार गुर्जर तहसीलदार एवं अन्य एक आवाज श्री बालकृष्ण शर्मा सरपंच पति दलाल की होने की पुष्टि की जिस पर कानि. श्री सुरेश कुमार से मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर लेपटॉप से वार्ता की एक मूल, एक डब एवं एक आईओ सीडी मुर्तिब करा मूल सीडी पर संबंधितों के हस्ताक्षर करा कपडे की थेली में सीलबंद कर उस पर भी संबंधितों हस्ताक्षर करा सीडी पर मार्क 'ए' अंकित किया गया। तत्पश्चात समय 3:45 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री पारसमल डांगी को दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 2000–2000 रूपये के 100 नोट कुल 2,00,000/– रूपये के करेन्सी नोट पेश किये। उपरोक्त समस्त नोटों के नम्बर निम्नानुसार है :–

क.सं.	नोट का विवरण	नंबर
1.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 EP 152066
2	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 MP 453396
3.	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 DK 428893
4	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 AP 950552

5	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 MS 333106
6	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 GR 373587
7	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 GM 012153
8	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 KG 629295
9	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 FW 977217
10	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 GL 696410
11	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 AT 418949
12	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 BB 836618
13	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 AW 155947
14	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 AB 719017
15	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 KU 245152
16	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 CU 101263
17	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 GA 797824
18	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6 BL 035654
19	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 HD 450496
20	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 GG 456012
21	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 EQ 070515
22	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 DG 491424
23	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 KE 578856
24	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 EK 125197
25	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 EU 054300
26	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 BB 465848
27	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 GK 810635
28	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 DL 193551
29	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 DV 902523
30	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 EA 030494
31	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 EG 754116
32	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 BN 947307
33	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 GT 357961
34	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 KF 721752
35	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 AU 027700
36	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 BH 917983
37	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 AA 915475
38	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 AT 005714
39	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 FE 968589
40	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 MT 342393
41	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 LL 020307
42	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 GD 450454
43	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 DK 657124
44	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 CV 930124
45	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 EN 814956
46	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 DD 023455
47	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 BL 360895
48	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 KE 819946
49	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4MM 797945
50	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 KA 843540
51	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 CW 845775
52	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 KB 329025
53	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6 EU 477723
54	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 CL 056251
55	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 HQ 180795

56	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 KD 399061
57	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6 GC 604358
58	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 AH 677544
59	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 FP 310466
60	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 DK 335255
61	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 GD 941582
62	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 GU 081372
63	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 CH 055608
64	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6 LQ 833980
65	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 HP 326922
66	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 BM 349573
67	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 FQ 092831
68	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 CK 515400
69	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 DK 160810
70	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 GA 109170
71	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 MV 429896
72	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 CM 171831
73	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 FG 860612
74	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	6 DW 989080
75	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 EW 601239
76	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	2 KK 611080
77	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 CM 051608
78	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 GA 573610
79	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 LE 234671
80	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 KC 540145
81	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 FP 027040
82	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 BG 961524
83	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 DM 553049
84	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 GU 241416
85	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 DB 715572
86	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 BM 770144
87	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 KP 946730
88	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	9 EC 464846
89	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	4 FK 558116
90	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 LG 479626
91	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	7 AN 291037
92	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 AE 594260
93	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 BE 747085
94	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 FD 791596
95	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	8 AS 882034
96	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	0 KK 879262
97	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 HP 748141
98	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	5 FS 670689
99	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	3 KC 624975
100	एक नोट 2000/– रूपये का नम्बरी	1 HV 961703

तत्तपश्चात् कानि. श्री अशोक कुमार के पास सुरक्षित रखी फिनोल्फ्थेलीन पाउडर की शीशी को मंगवाकर उक्त समस्त नोटो पर दोनों ओर श्री अशोक कुमार से फिनोल्फ्थेलीन पाउडर लगवाया जाकर श्री अशोक कुमार से परिवादी श्री पारसमल डांगी के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में कोई शैः न छोडते हुए रखवाये गये। उसके बाद श्री मुनीर

मोहम्मद हेड कानि से उक्त धर्मशाला में रखे पीने के पानी के मटके से साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्री अशोक कुमार कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थेलीन एवं सोडियम कार्बोनेट की रसायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि संदिग्ध द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोल्फ्थेलीन उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि संदिग्ध द्वारा रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को श्री अशोक कुमार कानि. से धर्मशाला के बरामदे से बाहर फिकवाकर फिनोल्फ्थेलीन पाउडर की शीशी पुनः सुरक्षित कानि श्री अशोक कुमार को सम्भलाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उन्हे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे, तथा रिश्वती राशि देने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री मुनीर मोहम्मद है0का0 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोल्फथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात कानि. अशोक कुमार मय फिनोफ्थेलीन की शीशी के पाण्डोली से ब्यूरो कार्यालय उदयपुर के लिए रवाना किया। परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर की विधि पुनः समझाईश कर वक्त रिश्वत लेनदेन होने वाली वार्ता को टेप रिकार्डर में रिकार्ड करनें की हिदायत देकर टेप रिकार्डर सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात समय करीब 4:45 पी.एम. पर कानि0 श्री सुरेश को परिवादी श्री पारसमल के साथ उसकी मोटरसाईकिल से कार्यालय तहसीलदार गंगरार चित्तौडगढ की ओर रवाना कर उसके पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहानों तथा हमराहीयान टीम के प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर तहसील कार्यालय गंगरार के आसपास छुपाव हासिल कर परिवादी के निर्धारित ईशारें के इन्तजार में खडे रहे। कुछ समय बाद परिवादी बिना निर्धारित ईशारा किये तहसील परिसर से अपनी मोटरसाईकिल से बाहर आया और एक तरफ आकर मन् पुलिस निरीक्षक को स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष टेप रिकार्डर प्रस्तुत कर बताया कि तहसीलदार श्री नरेश कुमार गुर्जर अभी कार्यालय में नहीं है। जिनके आने की आज कोई संभावना नहीं है। जिस पर परिवादी को हमराह लेकर अपने–अपने वाहनों से पुनः धर्मशाला पाण्डोली माताजी मंदिर पहुँचा। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री अमरदीप नागदा से परिवादी की पेन्ट की सामने की बांयी जेब में से रिश्वत राशि 2,00,000 रूपयें निकलवाई जाकर एक लिफाफें में रखवाई जाकर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई तथा श्री अमरदीप नागदा के हाथों को साफ पानी एवं साबुन से धुलवायें गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि रिश्वत मांग करनें वाले तहसीलदार श्री नरेश कुमार गुर्जर के उपस्थित आने अथवा रिश्वत राशि हेतु परिवादी से संपर्क करनें पर तत्काल मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाईल सूचित करे। बाद हिदायत परिवादी को रूकसत करनें के तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय सीलबंद मालखाना

आर्टिकल, लिफाफाबंद रिश्वत राशी 200000 रूपयें एवं हमराहियानों के प्राईवेट वाहनों से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर के लिए समय करीब 6:15 पीएम पर रवाना होकर समय करीब 8:15 पी.एम. पर कार्यालय भ्र0नि0 ब्यूरों चौकी उदयपुर पर उपस्थित हुआ। सीलबंद मालखाना आर्टिकल, डिजिटल टेप रिकार्डर तथा लिफाफे में बंद रिश्वत राशी 200000 रूपयें को सुरक्षित कार्यालय में रखवाया जाकर स्वतंत्र गवाहानों को आवश्यक हिदायत के साथ पाबंद कर रूकसत दी गई।

दिनांक 18.01.2022 समय करीब 11:30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भ्र0नि0 ब्यूरों चौकी उदयपुर की टीम अन्य गोपनीय कार्यवाही में व्यस्त होने से अग्रिम आवश्यक कार्यवाही भ्र0नि0 ब्यूरों स्पेशल यूनिट उदयपुर से किये जाने हेतु निर्देशित किया जाने पर प्रकरण से संबंधित मांग सत्यापन वार्ता की सीलबंद सीडी, लिफाफाबंद रिश्वती राशी 200000 रूपयें, रिकार्डशुदा डिजिटल टेप रिकार्डर एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी उदयपुर से रवाना होकर समय करीब 11:50 एएम पर भ्र0नि0 ब्यूरों स्पेशल यूनिट उदयपुर पर उपस्थित हुआ।

दिनांक 19.01.2022 समय करीब 01:54 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर 9414267591 पर परिवादी के मोबाईल नंबर 9413977561 से कॉल आया जिसने बताया कि ''दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण ने मुझे कॉल कर रिश्वत राशी लेकर आने हेतु कहा तो मेरे द्वारा श्री बालकृष्ण को विद्यालय समय 04:00 पीएम के बाद शाम को आने हेतु बताया है''। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को विवेकानन्द मॉडल स्कूल गंगरार के पास समय करीब 05:00 पीएम पर मिलने हेतु कहा गया। तत्पश्चात हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अर्ज किये गये जाकर दो प्राईवेट वाहनों को तलब किया गया। समय करीब 03:30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय डिजिटल टेप रिकार्डर, श्री नन्दकिशोर एलसी 379, श्री दिनेश कानि. मय लेपटोप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स में लिफाफा बंद रिश्वत राशी 200000 रूपयें एवं इमदाद हेतु पुलिस उप अधीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार मय टीम श्री सुरेश कुमार एएसआई, श्री विनोद डामोर क0स0, अन्य प्राईवेट वाहन से परिवादी श्री पारसमल डांगी के उपस्थित होने वाले स्थान पर मिलने हेतु ब्यूरो से रवाना होकर पूर्व पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहानों को खान एवं भूविज्ञान विभाग उदयपुर से हमराह लेकर समय करीब 05:00 पीएम पर विवेकानन्द मॉडल स्कूल गंगरार पर पहुँचा जहां पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी उपस्थित मिला जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री अमरदीप नागदा से ट्रेप बॉक्स में रखे लिफाफे में से पूर्व में फिनोफ्थेलीन लगी रिश्वती राशि 200000 रूपयें निकालकर परिवादी श्री पारसमल डांगी के पेन्ट की आगें की दाहिनी जेब में कोई शैः न रखते हुए रखवायी जाकर श्री अमरदीप नागदा के हाथ शेंपु पाउच एवं साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि आरोपीगणों द्वारा रिश्वती राशि ग्रहण करने के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक एवं टीम को देखकर अपने सिर पर हाथ फैरकर निर्धारित ईशारा करें। तत्पश्चात परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल पर कानि0 श्री दिनेश कुमार को बिठाकर रवाना करते हुए परिवादी की मोटरसाईकिल के पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरों टीम एवं श्री प्रमेन्द्र कुमार पुलिस उप अधीक्षक उनकी टीम के साथ अपने–अपनें प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर कार्यालय तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौडगढ से कुछ दूरी पर रूके जहां परिवादी श्री पारसमल ने कानि0 श्री दिनेश कुमार को उक्त कार्यालय के मुख्य द्वार से बाहर उतारकर अन्दर प्रवेश किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम के परिवादी श्री पारसमल द्वारा किये जाने वाले निर्धारित ईशारें का ईन्तजार करनें लगे किन्तु परिवादी तहसील कार्यालय से बिना ईशारा किये बाहर आया जिसने अपनी मोटर साईकिल पर कानि0 श्री दिनेश कुमार को बिठाया तथा रवाना हुआ जिसके पीछे–पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रवाना हुए जिस पर परिवादी कुछ आगे जाकर रूका जिसनें टेप रिकार्डर बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि तहसीलदार गंगरार उनके कार्यालय में नहीं है। जिस पर परिवादी श्री पारसमल डांगी के पास रखी रिश्वती राशी स्वतंत्र गवाह श्री

अमरदीप से निकलवाई जाकर लिफाफे में रखवाई जाकर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स मे रखी गई एवं गवाह अमरदीप के हाथ धुलवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि आयन्दा रिश्वत मांग करनें वाले दलाल सरपंच पति अथवा तहसीलदार द्वारा उससे संपर्क किया जाये तो तत्काल मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करें एवं परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान अपने–अपने प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर भ्र. नि. ब्यूरों एसयू उदयपुर पहुँचे तथा डिजिटल टेप रिकार्डर एवं ट्रेप बॉक्स मय लिफाफा बंद रिश्वत राशि कार्यालय में सुरक्षित रखी।

दिनांक को 29.01.2022 को समय करीब 02:24 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर 9414267591 पर परिवादी के मोबाईल नंबर 9413977561 से कॉल आया जिसने बताया कि अब तक श्री नरेश कुमार गुर्जर अथवा उनके दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण द्वारा मुझसें संपर्क नहीं किया गया है। जिस पर परिवादी श्री पारसमल को हिदायत दी गई कि वह अपने निर्माण कार्य को प्रारंभ करे तथा तहसीलदार अथवा उसके दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण दोनों में से किसी एक द्वारा यदि रिश्वत राशी को ग्रहण करने हेतु कोई संकेत प्रदान किया जाता है तो तत्काल मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करें। इसी प्रकार दिनांक को 04.02.2022 को समय करीब 02:29 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर 9414267591 पर परिवादी के मोबाईल नंबर 9413977561 से कॉल आया जिसने बताया कि मैने अपनी छत डालनें का कार्य प्रारंभ कर दिया है किन्तु अभी तक श्री नरेश कुमार गुर्जर अथवा उनके दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण द्वारा मुझसें संपर्क नहीं किया गया है। जिस पर परिवादी श्री पारसमल को हिदायत दी गई कि यदि तहसीलदार अथवा दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण दोनों में से किसी एक द्वारा रिश्वत राशी को ग्रहण करने हेतु कोई संकेत प्रदान किया जाता है तो वह तत्काल मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करें। तत्पश्चात दिनांक 15.02.2022 को समय करीब 10:37 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर 9414267591 पर परिवादी के मोबाईल नंबर 9413977561 से कॉल आया जिसने बताया कि मैने अपनी छत डाल दी है तथा अभी पक्की होने में एक–दो दिन और लगेंगे किन्तु तहसीलदार श्री नरेश कुमार गुर्जर का दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण मुझे आज रास्तें मिला जिसने रोककर मुझे कहा कि मुझे यह सूचना मिली है कि आपनें मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में शिकायत की है। जिस पर मेरे द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की गई किन्तु तहसीलदार एवं उनके दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण को ट्रेप कार्यवाही का संदेह हो चुका अब वे मुझसें रिश्वत राशी ग्रहण नहीं करेंगे। जिस पर परिवादी श्री पारसमल को हिदायत दी गई कि यदि तहसीलदार अथवा दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण दोनों में से किसी एक द्वारा रिश्वत राशी को ग्रहण करने हेतु कोई संकेत प्रदान किया जाता है तो वह तत्काल मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करें। परिवादी द्वारा बतायें गये तथ्यों से श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत किया गया। दिनांक 22.02.2022 को समय करीब 02:00 पी.एम. पर परिवादी श्री पारसमल डांगी ने उपस्थित होकर बताया कि आरोपियों को ट्रेप कार्यवाही का पूर्ण रूप से संदेह हो चुका है अब वे मुझसें रिश्वत राशी ग्रहण नहीं करेंगे। जिस पर स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेश टांक एवं श्री अमरदीप नागदा को तलब किया गया। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री पारसमल डांगी द्वारा अवगत करायें गये तथ्यों अनुरूप आरोपियों के अब परिवादी से रिश्वत राशी ग्रहण किया जाना संभव नहीं होने से रिकार्डिंग हेतु डिजिटल टेप रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड को टेप रिकार्डर से पृथक कर एक कपडे की थेली में सीलबंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा स्वंतत्र गवाहानों को रूकसत दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री पारसमल डांगी द्वारा पूर्व में आरोपियों को प्रदान की जाने वाली रिश्वत राशी 200000 रूपयें को जरिये फर्द पुनः परिवादी श्री पारसमल डांगी को लौटायें जाकर रूकसत दी गई।

इस प्रकार परिवादी श्री पारसमल डांगी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 14.01.2022 को करवाई गई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से आरोपी श्री नरेश कुमार गुर्जर तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौडगढ एवं दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति)

द्वारा आपसी षडयंत्रपूर्वक अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री पारसमल डांगी से उसके निर्माणाधीन दुकानों एवं आवासीय भवन के निर्माण को नहीं रोकने की एवज में अवैध पारितोषण के रूप में प्रत्येक दूकान के 75,000 रूपये के हिसाब से दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण के मार्फत रिश्वत राशि मांग कर परिवादी द्वारा हाथा जोडी करने पर आरोपीगणों द्वारा 7,00,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने की स्वीकृति देने के पश्चात आरोपीगणो को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से परिवादी से अपनी मांग के अनुरूप रिश्वत राशी ग्रहण नहीं करना जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री नरेश कुमार गुर्जर तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौडगढ एवं दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी पूर्बिया मोहल्ला ग्राम गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादस में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

भवदीय

(रतनसिंह राजपुरोहित)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
एसयू उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रतनसिंह राजपुरोहित, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री नरेश कुमार गुर्जर, नायब तहसीलदार कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ एवं 2. श्री बालकृष्ण शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल निवासी पूर्बिया मोहल्ला ग्राम गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज.)(प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 86/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 770-74 दिनांक 11.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.,उदयपुर।

11.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।